PRASAD YADAV): (a) and (b) No, Sir. The open sale prices are fixed by the Government from time to time after taking Relevant factors into consideration.

(c) FCI issues foodgrains under Public Distribution System to the State Governments or their nominees. In Andhra Pradesh, A.P. Civil Supply Corporation lifts the stocks from FCI godowns and distributes it to fair price shops. The State Government takes necessary measures for proper use of wheat meant for Public Distribution System.

Shortage of Storage Space in FCI Godowns

936. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether despite acute shortage of storage space in Food Corporation of India godowns, Government have failed to fully utilise the Central Warehousing Corporation and State Warehousing Corporation godowns;

(b) if so, the unutilised capacity of the CWC and SWCs godowns; and

(c) the reasons therefor?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) No, Sir. As on 1.1.97, FCI had a total capacity of 230.97 lakh tonnes (both covered & CAP) with utilization of 53%. This includes *inter-alia*, capacity of 13.11 lakh tonnes hired from CWC and 16.43 lakh tonnes hired from SWCs. Thus, there is no shortage of storage space in FCI. However, at times of need it hires additional capacity from these agencies according to its requirement.

(b) and (c) Do not arise in view of (a) above.

भाण्डागारों का निरीक्षण

937. श्री इकबाल सिंह: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में और अब तक केन्द्रीय भांडागार निगम के देश भर में स्थित भांडागारों में अनियमितताओं का पता लगाने हेतु निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कब कब निरीक्षण किया गया;

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं और सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने हेतु किन-किन बातों पर विशेष बल दिया है ताकि इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो सके?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) और (ख) केन्द्रीय भंडारण निगम के भांडागारों में अनियमितताओं का पता लगाने के लिए निगम वरिष्ठ अधिकारी समूचे देश में स्थित अपने भांडागारों के अचानक निरीक्षण कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए इन निरीक्षणों की संख्या नीचे दी गयी है। तारीखवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)

1.	1994	-	2
2.	1995	-	16
3.	1996	-	32

इन निरीक्षणों के दौरान तीन भांडागारों में कार्यरत 5 कर्मचारियों को उनकी ओर से की गई अनियमितताओं/पाई गई त्रुटियों के लिए मुअत्तल किया गया है। इन पांच कर्मचारियों में से 2 कर्मचारियों को आरोप पत्र दिया गया है और इनके खिलाफ विभागीय जांच प्रगति पर है। शेष तीन कर्मचारियों के मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) केन्द्रीय भंडारण निगम सांविधिक संगठन है। इसका अपना अलग ढांचा है। इस प्रयोजन के लिए इसके वरिष्ठ अधिकारी भांडागारों की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए नियमित निरीक्षण करते हैं और यह भी देखते हैं कि क्या विहित प्रक्रिया अपनाई जा रही है अथवा नहीं। यदि सतर्कता संबंधी कोई गम्भीर चूक पाई जाती है तो सतर्कता प्रभाग द्वारा इसकी जांच की जाती है। इस प्रभाग का प्रमुख पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी है और वह चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करता है।